निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 38 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** के माह 05/2013 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/08/2017 से 10/09/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. जैन, श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्री एस. एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 14/05/2013 से 18/05/2013 तक श्री दिनेश रमोला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2012 से 04/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2012-13			30667128	30613247	18363000	14974000				
2013-14			27762000	25128507	9755000	9004048				
2014-15			29470610	28378728	25516920	21772744				
2015-16			34132681	27989106	36196487	30365632				
2016-17			36010181	35843268	6803788	5602105				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	केन्द्र पोषित योजनाए	69.72	14.00	13.92	69.8
2014-15		97.07	170.91	143.65	124.33
2015-16		200.76	282.10	235.21	247.65
2016-17		151.83	7.79	6.87	152.75

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा) **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में चयनित माहों के लेनदेन की लेखापरीक्षा, **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** की

लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 केवल को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **चयनित माहों के रोकड़ वही से व्यय विपणन प्रमाणकों की जांच एवं जिले में कृषि से संबंधित संचालित राज्य एवं केन्द्र योजनाओं की जांच आदि** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन RKVY योजना (केन्द्र पोषित) अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

<u>प्रस्तर -1</u> <u>12 वर्ष पूर्व स्वीकृत प्रयोगशाला पर ` 95.43 लाख ब्ययोपरांत भी चालू न किया जाना</u>

मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि उल्लिखित योजना के अन्तर्गत स्ट्रेन्थनिंग स्टेट बायो कंट्रोल लैब हेतु भवन का निर्माण हेतु उत्तरांचल शासनादेश संख्या -361 /XIII/05/5(5)05 दिनांक 30मार्च, 2005 को ` 44.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। भवन का निर्माण करवाकर दिनांक 02/11/2006 को ही हस्तांतरित किया जा चुका था। तत्पश्चात इस भवन में लैब संचालित करने हेतु लगभग 05 वर्षो बाद यंत्र-सयन्त्र की क्रय के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा `22.65 लाख दिनांक 24/11/2011 को स्वीकृत की गई थी, जिसके सापेक्ष कृषि निदेशक द्वारा लगभग 03 वर्ष बाद दिनांक 29/09/2014 को ` 22.65 लाख अवमुक्त की गई थी, के सापेक्ष वर्ष 2014 से 2016 तक ` 15.80 लाख का यंत्र-सयन्त्र क्रय किया गया है। इस लैब को संचालित करने हेतु (संलग्न विवरण पत्रानुसार)01/07/2014 से 01/08/2017 तक तीन सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 की तैनाती की गई थी, जिन्हें वेतन के रूप में ` 35.13 लाख भुगतान किया गया है, जबकि लैब वर्तमान में भी चालू नहीं किया गया है। वर्तमान में भी एक वर्ग-1 अधिकारी तैनात है, जो लैब चलाने हेतु प्रशिक्षित भी नहीं है। उक्तानुसार भवन निर्माण पर ` 44.50 लाख यंत्र-सयन्त्र क्रय पर ` 15.80 लाख तथा वेतन पर 35.13 लाख कुल ` 95.43 लाख व्ययोपरान्त भी प्रश्नगत लैब चालू नहीं किया गया है, जबकि प्रश्नगत लैब हेतु भवन का निर्माण 10 वर्ष से पूर्व ही पूर्ण कर हस्तांतरित किया जा चुका था। अधिकत्तर यंत्र-सयन्त्र भी दो वर्ष से पूर्व ही क्रय किया गया है, (संलग्न विवरण पत्र) इससे स्पष्ट है कि क्रय की गई यंत्र-सयंत्रो की वारंटी/ गारंटी भी समाप्त हो चुकी होगी। इस प्रकार प्रश्नगत लैब मद में की गई व्यय निरर्थक रहा। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"लैब के संचालन उपरांत यंत्र-सयन्त्रो के खराब होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी"***। आगे यह भी बताया कि ***"निदेशालय को उचित दिशा निर्देश हेतु निवेदन किया जाएगा एवं जल्द से जल्द प्रयोगशाला चालू कर दी जाएगी"।*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि किसानो के हितलाभार्थ दिनांक 30 मार्च, 2005 में (12 वर्ष से अधिक समय पूर्व) स्वीकृत लैब जिसपर ` 95.43 लाख व्ययोपरांत भी विभाग की उदासीनता के कारण चालू नहीं किया जा सका है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा कृषि विभाग का कृषको के प्रति असंवेदनशीलता का द्योतक है। अतः 12 वर्ष से पूर्व स्वीकृत

प्रयोगशाला पर `95.43 लाख व्ययोपरांत भी चालू न किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

jk'Vªh; d`f'k fodkl ;kstuk ds vUrxZr स्ट्रेन्थनिंग **LVsV ck;ks dUVªksy ySc dh lwpuk tuin&**

dz0la0	dz; fd;s x;s midj.k dk uke	ySc gsrq okafNr midj.kksa dh la[;k	dz; fd;s x;s e"khuksa dh la[;k	dqy izklr /kujkf"k dk fooj.k	iz;ksx"kkyk esa okafNr midj.k@e"khu ij fd;k x;k O;;		fcy la[;k@ fnukad	e"khu@midj.k bULVkyksku dh frfFk	;fn bULVkys"ku ugh gqvk gS rks vldk dkj.k
1	2	3	4	5	6		7	9	10
1	Laminer Flow Station	1	1	22]65]000-00	1]50]045-00	964162-00	765@19-11-14	लैब आतिथि तक चालू नहीं है	iz;ksx"kkyk esa Exhaust Fan ,ao Air Conditioner yxkus ds fy;s yksgs ds Qzse rFkk nhokjksa esa rksMQksM dj fQfVax ugh gksus ds dkj.k bULVkys"ku yfEcr gSA
2	Semi automatic Corcyra rearing system	50	30		5]19]420-00		765@19-11-14		
3	Corcyra Cage (wooden)	100	75		53]850-00		765@19-11-14		
4	UV Chamber/UV Light	2	2		76]938-00		765@19-11-14		
5	Top loading Electronic balance	1	1		89]565-00		765@19-11-14		
6	Corcyra Laying Cages	50	50		39]594-00		100@17-11-14		
7	Stereo Binocular Microscope	1	1		34]750-00		112@14-11-14		
8	Hot Air Oven	2	1		34]185-00	296760-00	514@18-08-15		
9	Compound Microscope	1	1		19]500-00		514@18-08-15		
10	BOD Incubator with temperature, humidity and photo period with 1 KVA stabilizer	2	1		1]03]950-00		503@20*07*15		
11	Autoclave Vertical	1	1		1]02]375-00		18@11-06-15		
12	Water Distillation Unit	1	1		36]750-00		18@11-06-15		
13	Air Conditioner with Cooling and heating arrangement	8	2		1]02]800-00	319350-00	216@14-03-16		

14	Refrigerator 300ltr capacity with 1 KVA stab	2	2		72]000-00		216@14-03-16		
15	Heat Convertor	20	10		29]500-00		216@14-03-16		
16	Corcyra Cage (steel)	20	10		24]500-00		216@14-03-16 32@11-07-16		
17	Laboratory Table	5	5		42]500-00		216@14-03-16 32@11-07-16		
18	Laboratory Stool	20	10		13]400-00		216@14-03-16		
19	Thermometer	10	5		2]750-00		216@14-03-16		
20	Hygrometer (Dail type)	10	4		3]600-00		216@14-03-16		
21	Mixer cum Grinder	2	2		6]100-00		216@14-03-16		
22	Vaccum Cleaner	2	1		10]400-00		216@14-03-16		
23	Exhaust Fan	10	5		11]800-00		216@14-03-16		
	Total			**22]65000**	**15]80272-00**	**15]80272-00**			

स्ट्रेन्थर्निंग स्टेट बायो कंट्रोल लैब में तैनात अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा आहरित बेतन का विवरण

uke inuke	**rSukrh dh frfFk**	तैनाती अवधि में आहरित बेतन की धनराशि	अभ्युक्ति
श्री फूल सिंह, l0d`0v0] oxZ&1	01.07.2014 से 31.8.2017	`1959334.00	प्रशिक्षित
श्री राजेंद्र सिंह, l0d`0v0] oxZ&1	01.09.2014 से 31/003/2017	` 1487572.00	प्रशिक्षित
Jh th"kku vyh] prqFkZ Js.kh	01.08.2015 से बर्तमान तक	&	&
ब्रिज मोहन पुरोहित, l0d`0v0] oxZ&2	01.08.2017 से बर्तमान तक	` 66454.00	प्रशिक्षित नहीं है
कुल बेतन	-	` 3513360.00	

भाग दो 'ब'

izzLrj 2- :0 63.64 yk[k dh v|ksekud jlk;u lkexzh dk vfu;fer dz; dj Hk.Mkj.k fd;k tkukA

शासन के पत्रांकः 1245/XIII-1/2016-5(26)2005 TC Dated 4 August 2016 एवं d`f'k funs"kky; mRrjk[k.M }kjk tkjh i=kad&d`-fu0@7805@d`-j0@iwfrZ@jlk0 dz;@2016&17 @

fnukad 13 fnlEcj 2016 esa mYyf[kr “krksa ds foijhr fd;k x;k FkkA

dz; jlk;u dk dz; dsoy fofuekZrk QeZ ls funs”kky; }kjk dh x;h vuqekfnr njksa ij gh fd;k tkuk pkfg,s FkkA

vkiwfrZdrkZ QeZ dks vkiwfrZ vkns”k fuxZr djus ls iwoZ lEcfU/kr QeZ ds jkT; ykblsUl dh izfr izkIr dj jkT; ds ykblsUl ls jlk;u ds Vs0xzs0fofuekZrk ¼QkeqySVj½gksus dh iqf’V djus ds lkFk dz; fd;s tkus okys d`f’k j{kk jlk;uksa dh izkfIr Lohdkj djus ls iwoZ vkiwfrdrkZ@QeZ ds vkbZ0,l0vkbZ0@ch0vkbZ0,l0@vkbZ0,l0vks0 vkfn ekudksa ds iathdj.k rFkk mRiknu ykblsal dh oS/krk vkfn dk Hkh vius Lrj ij iqf’V djsaxs rFkk ;g Hkh lqfuf”pr djsxs fd jlk;uksa dh iSfdx ij cSp u0 ek=k]mRiknu frfFk ,oavfUre iz;ksx frfFk Li’V :i las vafdr gksA dzsrk vf/kdkjh fdlh Hkh n”kk esas bu funsZ”kks dk mYy?kau u djsA dz; vkns”k mRrjk[k.M jkT; gsrq nj vuqcfU/kr QeZ QeksZ dks gh fn;k tk; rFkk jlk;u dz; ds ewY; dk Hkqxrku Hkh nj vuqcfU/kr vkiwfrZdrkZ QeZ@QeksZ dks gh fd;k tk;A

funs”kky; }kjk o’kZ 2016&17 ds fy;s fofuekZrk QeZ eS0 bUlSDVhlkbM bf.M;k fyfe- 401&402 ywlk Vkoj vktkn iqj dksef”kZ;y dksEiySDl ubZ fnYyh dh jlk;u dz; gsrq vuqeksfnr dh x;h FkhA ftlls jlk;u dk dz; fd;k tkus gsrq vkiwfrZ vkns”k fn;k tkuk pkfg,a Fkk] rFkk tkjh vkiwfrZ vkns”k ds lkis{k jlk;u dk क्रz; djds Hkqxrku Hkh vkiwfrZdrkZ QeZ dks gh fd;k tkuk pkfg, FkkA ijUrq dk;kZy; ds }kjk ,slk ugh fd;k x;k FkkA

dk;kZy; मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd o’kZ 2016&17 ds p;fur ekg 3@2017 esa 4401&00&10703 ouLifr laj{k.k 31 lkexzh ls

dfUVutsUV fcy la[;k 14]15]16]17]18]19 ,oa 20 ls dze"k% :0 23]11]711-00 :0 5]88]550-00 :0 1]78]022-00 :0 8]92]695-00 :0 2]24]333-00 :0 3]17]431-00 ,oa :0 18]50]155-00 dqy :0 63]63]097-00 yk[k dh jlk;u lkexzh dk dz; ,oa Hkqxrku eSllZ uo nqxkZ ,xksz dSfedYl eSu jksM cktiqj m|e flga uxj ls fd;k x;k Fkk] rFkk Hkqxrku Hkh mldks vfrfjDr cSV lfgr fd;k x;k Fkk] tcfd d`f'k funs"kky; }kjk Li'V dgk x;k Fkk fd fofuekZrk QeZ ls gh lh?ks jlk;u dk dz; fd;k tk, ,oa Hkqxrku Hkh vkiwfrZdrkZ fofuekZrk QeZ dks gh djk tk;sA dk;kZy; dh bl ykijokgh ls funs"kky; ds vkns"kksa dk ikyku lqfuf"pr ugh fd;k x;k Fkk] ogh nwljh vksj vf/kd njksa esa fcuk mPpdksfV dh xq.koRrk ds jlk;u dk dz; dj Hk.Mkj.k ,oa Hkqxrku Hkh fd;k x;k FkkA दर अनुबंध के अनुसार रसायन का टेण्डर विनिर्माता फर्म ने खरीदा था तथा विनिर्माता फर्म द्वारा अपने सैल डिपों की दरें ही दी गयी थी। जोकि बाजार एवं थोक दरें की तुलना में कम होने के कारण उक्त दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। क्योंकि विनिर्माता फर्म की दरें अन्य दरों की तुलना में कम होती है, इसलिए ही विनिर्माता फर्म को सूचित कर किया गया था तथा एफ.डी.आर. भी उसके द्वारा जमा की गयी थी। विभाग का अनुबंध भी दरों एवं कर भुगतान करने हेतु उली विनिर्माता फर्म के साथ किया गया था, जबकि कार्यालय द्वारा विनिर्माता फर्म को रसायन का क्रय आदेश भी जारी नहीं किया गया था। बल्कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के थोक विक्रेता से विनिर्माता फर्म की अनुमोदित की गयी दरों पर रसायन का आपूर्ति आदेश जारी का सामग्री का प्राप्त करना एवं प्राप्त रसायन को मानक दर्शाते हुए 100 प्रतिशत भुगतान एक मुश्त आयकर की कटौती किये बिना ही किया जाना निदेशालय द्वारा जारी दर अनुबंध शर्तों, वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज नियमों का स्पष्ट उल्लघंन था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि उक्त दरें कृषि निदेशालय से अनुमोदित की गई है। भविष्य में अनुमोदित दर विनिर्माता फर्मों को ही आदेश निर्गत किया जायेगा, उनसे बिक्री बिल प्राप्त करके भुगतान उन्ही फर्मों को किया जायेगा।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निदेशालय के दर अनुबंध आदेशों में केवल विनिर्माता फर्मों से ही रसायन/औषधि का क्रय करके उनके ही बिक्री बिलों का भुगतान भी विनिर्माता फर्मों को ही किया जाना था। जिसे विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

अतः प्रस्तर शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- ` 1631.69 लाख से भूमि का मूल्य कम दिखाया जाना तथा सांख्यिकी के प्राक्कलन के सापेक्ष मात्र 35.65 से 52.12 प्रतिशत ही उत्पादन किया जाना

मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान राजकीय जैविक बीज संबर्धन प्रक्षेत्र, ढकरानी की अभिलेखो की जांच में पाया कि जैविक बीज संवर्धन प्रक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 16.50 है0 है, जिसमे से 14.25 है0 कुल उत्पादन क्षेत्रफल है, में वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक 93.00 हेक्टेअर में विभिन्न प्रजाति का फसल बोया गया था, में मात्र 568.52 कुंटल ही उत्पादन किया जाना दिखाया गया है, जबकि संयुक्त कृषि निदेशक, (सांख्यिकी) द्वारा उत्पादन का संकलित प्रतिवेदन के आंकड़ो से प्रश्नगत राजकीय फार्म में उत्पादित फसल(खरीफ एवं रबी की मुख्य फसल धान एवं गेहू) की मात्रा का तुलना करने पर पाया कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक सांख्यिकी के अनुसार (खरीफ) प्रति हेयक्टेयर (चार वर्षो में) 82.216 कुंटल उत्पादन किया जाना चाहिए था, इसके सापेक्ष राजकीय फार्म का उत्पादन मात्र 42.85 कुंतल रहा, जो कि 39.366 कुंतल कम उत्पादन किया गया था, अर्थात मात्र 52.12% ही उत्पादन किया गया था। इसी प्रकार (रबी) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक सांख्यिकी के अनुसार प्रति हेयक्टेयर (तीन वर्षो में) 61.206 कुंटल उत्पादन किया जाना चाहिए था, इसके सापेक्ष राजकीय फार्म का उत्पादन मात्र 21.821 कुंतल रहा, जो कि 39.385 कुंतल कम उत्पादन किया गया था, अर्थात 35.65% ही उत्पादन किया गया था। वर्ष 2013-14 से खरीफ फसल वर्ष 2017 तक उपज की बिक्री से ` 21.84 लाख प्राप्त किया जाना दिखाया गया है, के सापेक्ष `31.09 (जुलाई 2017 तक का) व्यय किया जाना दिखाया गया है इसके अतिरिक्त फार्म में तैनात कर्मचारियो को वेतन का भी भुगतान किया गया है। इस प्रकार फार्म घाटे में चलाया जा रहा है। प्रश्नगत प्रक्षेत्र का वर्ष 2009-10 तक ही तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार किया गया है अर्थात वित्तीय वर्ष 2010-11 से तुलनपत्र तैयार नहीं किया गया है। तुलन पत्रानुसार प्रक्षेत्र की भूमि जो की 16.50 हेक्टेयर है की कीमत मात्र `1,81,038.00 दिखाया गया है, जबकि क्षेत्र दर (Circle Rate) के अनुसार फार्म की प्रति हेक्टेयर ` 99.00 लाख दिखाया गया है इसप्रकार तुलन पत्र में फार्म की भूमि का मूल्य (16.50 x 99.00) `1633.50 लाख दिखाया जाना चाहिए था। उक्तानुसार तुलनपत्र में संपति (1633.50-1.81) ` 1631.69 लाख से कम दिखाकर विभाग की दायित्व को कम किया गया है, जो कि अनियमित है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त होते ही फार्म की भूमि का नया मूल्यांकन करा लिया जाएगा"*** लेखा परीक्ष्या में यह पूछे जाने पर की विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन किया जाना निर्धारित है। इस संबंध में विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"राजकीय प्रक्षेत्र पर सामान्य फसल उत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मानक निर्धारित है किन्तु जैविक फसलोत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन मानक शासन द्वारा निर्धारित नहीं किए गए है"*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उत्पादन का कोई मानक निर्धारित

नहीं है, जबकि खेती हेतु सभी आवश्यक यंत्र-सयन्त्र, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल बिजली आदि उपलब्ध है फिर भी व्यय के सापेक्ष्य प्राप्ति (उत्पादन) कम होना विभाग की कुप्रबंधन एवं उदासीनता का द्योतक है। अतः ` 1631.69 लाख से भूमि का मूल्य कम दिखाया जाना तथा सांख्यिकी के प्राक्कलन के सापेक्ष्य मात्र 35.65 से 52.12 प्रतिशत ही उत्पादन किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2- <u>बिना धनराशियाँ व्यय किए ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाना</u>

मुख्य कृषि अधिकारी, देहारादूनलेखा परीक्षा के दौरान इस कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओ से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि पंजाब नेशनल बैंक पास बुक खाता संख्या 0110010100035596 जो कि दिनांक 12.08.2004 (RKVY and other central state schemes) को खोला गया था, में निम्नानुसार धनराशिया अवशेष दिखाया गया है:-

Statement (A)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
2013-14	48,06,321.00	64,53,576.00
2014-15	64,53,576.00	86,53,304.00
2015-16	86,53,304.00	1,84,25,812.00
2016-17	1,84,25,812.00	1,07,68,751.00
2017-18(जुलाई, 2017 तक)	1,07,68,751.00	1,06,97,390.00

इसी प्रकार उत्तराखंड ग्रामीण बैंक खाता संख्या 76015048953 जो कि दिनांक 15.10.2016 को खोला गया था, (PKVY) में निम्नानुसार धनराशिया अवशेष दिखाया गया है:-

Statement (B)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
2016-17	20,00,000.00	26,83,573.00
2017-18(जुलाई, 2017 तक)	26,83,573.00	52,55,004.00

पंजाब नेशनल बैंक पास बुक खाता संख्या 0110010100013 9782 जो कि दिनांक 15.10.2005 को खोला गया था, (ATMA) में निम्नानुसार धनराशिया अवशेष दिखाया गया है:-

Statement(C)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
2013-14	--	5,18,218.00
2014-15	5,18,218.00	10,53,539.45
2015-16	10,53,539.45	16,50,403.00
2016-17	16,50,403.00	17,30,937.00
2017-18(जुलाई, 2017 तक)	17,30,937.00	6,86,244.00

उल्लिखित विवरण पत्रो से स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा अवधि में आरकेवीवाई, पीकेवीवाई एवं एटीएमए योजनाओ में वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रमशः रु 10768751.00, 2683573.00 एवं 1730937.00 अवशेष दिखाया गया है इसी प्रकार सभी बित्तीय वर्षो में धनराशियाँ अवशेष दिखाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि कार्ययोजनानुसार योजनाये संचालित नहीं किए जा रहे है, जिस कारण किसानो के हितलाभार्थ स्वीकृत योजनाओ का लाभ किसानो को नहीं मिल पा रही है, जिसका मुख्य कारण है योजनाओ का किसानों की आवश्यकतानुसार तैयार न किया जाना कार्ययोजनानुसार धनराशियां समय-समय पर जारी न कर वर्षांत माह मार्च में जारी किया जाना। अभिलेखो में तो सभी योजनाए समय से संचालित कर किसानो को लाभान्वित किया जाना दिखाया गया है, जबकि योजनाओ से संबन्धित धनराशियां बेंकों में जमा है और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है। इसे इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया कि ***"ऊपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है, उपयोगिता प्रमाण पत्रो की छाया प्रतियां लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी"।*** बिभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि योजनाओ के सापेक्ष प्राप्त धनराशियों के व्यय किए बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर उच्चाधिकारियों को गलत आंकड़ो वाली प्रतिवेदन, प्रतिवेदित की जा रही है, जो की गंभीर अनियमितता है अतः बिना धनराशियाँ ब्यय किए ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
123/398	-	2
123/106	-	1
04/359	3	8
07/103	-	1
	-	-

अन्य 2002-03 से पूर्व के प्रस्तर हैं।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
123/398	भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01,02		विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है। अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	
13/106	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01		विभाग द्वारा उत्तर की कार्यवाही चल रही है।	
04/359	भाग-II 'अ' प्रस्तर-01,02,03		विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है। अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	
	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02,03, 04,05,06,07,08			
07/103	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01		विभाग द्वारा उत्तर की कार्यवाही चल रही है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) माह 03/2017 के व्यय वाऊचर रू. 18,44,663.00

   (ii) प्रस्तुत नहीं किये गये है।

   (iii) माह 03/2015 के चयनित माह के व्यय वाऊचर प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनकों अगली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) -

   (ii) -

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	डा. विकेश कुमार यादव	मुख्य कृषि अधिकारी	28/08/10 से 04/09/2014
(ii)	श्रीमती ज्योति एस. कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी	05.09.2014 से 17.12.2016
(iii)	श्री विजय देवराडी	मुख्य कृषि अधिकारी	18/12/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2